तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शिवराम एकलिया पुत्र बुद्वारामजी अध्यक्ष श्री कृष्ण कुंभ गौशाला समिति पृथ्वीगढ ढाणी निमाज पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 51 / 2022 जीसीएमएस नं. :– 2022 / 137 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

01/4/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 07.12.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक / रा.लो.सू.अ. / विविध / 2022 / 505 दिनांक 28.03.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र 07.12.2021 उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है तथा न ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में उपस्थित हुए है। अतः अपीलांट को लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जावे। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त करे।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 01/4/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली